 आपराधिक अपील क्रमांक– 32/2022

न्यायालय :– द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
(समक्ष– नीरज शर्मा)

Registration No : 32/2022
Filing No. : 922/2022
CNR No. MP1305-001171-2022
Filing Date : 20-10-2022
Registration Date : 20-10-2022

नानालाल पिता अर्जुनलाल जाट, उम्र– 39 वर्ष, निवासी– ग्राम सुराना, तहसील व जिला रतलाम मध्यप्रदेश

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

// वि रू द्ध //

निर्मला पति नानालाल जी जाट आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम सुराना तहसील व जिला रतलाम म. प्र. हाल मुकाम ग्राम बुरानाबाद तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, म.प्र.

.....प्रत्यर्थी/परिवादी

———————————————————————————

न्यायालय (अभिजीत सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा आपराधिक प्रकरण (RCT No. 135/2016, Filing No. 635/2016, CNR No. MP1305-000580-2016) निर्मला विरूद्ध नानालाल अंतर्गत धारा 31(1) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक– 30/09/2022 से उद्भूत आपराधिक अपील।

———————————————————————————

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा :– श्री राजेंद्र सिंह पंवार अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/अभियोगी द्वारा :– श्री राजेंद्र कुमार पुरोहित अधिवक्ता

———————————————————————————

// नि र्ण य //
(आज दिनांक 10/09/2025 को घोषित)

01– अपीलार्थी/अभियुक्त नानालाल ने न्यायालय (अभिजीत सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा आपराधिक प्रकरण (RCT No. 135/2016, Filing No. 635/2016, CNR No. MP1305-000580-2016) निर्मला विरूद्ध नानालाल में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक– 30/09/2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय

ने अपीलार्थी/अभियुक्त को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/–रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदण्ड अदायगी व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

02– अपील के निराकरण हेतु मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियोगी/प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.05.2015 को आरोपी के विरूद्ध पेश किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 22/15 घरेलू हिंसा होकर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2015 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में आरोपी द्वारा परिवादी को 2000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को तथा 100/–रूपये परिवादी के बच्चे के ईलाज के लिए कुल राशि 2100/–रूपये अदा किया जाना आदेशित किया गया तथा अन्य सहायता भी दिलाई गई, परंतु आरोपी द्वारा कालम नंबर 23 के उप कालम ए, बी, सी, डी, ई, एफ में जो आदेश दिया गया था उसका पालन नहीं किया गया है। उक्त आदेश की आरोपी द्वारा अवहेलना की होकर आदेश का उल्लंघन कर आदेश भंग किया है। जो कि धारा 31 घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का दण्डनीय अपराध किया है। परिवादी ने उसके अभिभाषक के माध्यम से आरोपी को एक सूचना पत्र दिनांक 18.12.2016 को उसके निवास के पते दिया गया था, किंतु आरोपी जानबूझकर टालमटोल करता रहा आरोपी नहीं मिलने के कारण सूचना पत्र वापस प्राप्त हुआ। न्यायालय के आदेशानुसार परिवादी का मायके से दिया गया उपहार का सामान 2 तोले की सोने की चैन, आधा तोला सोने की अंगूठी, डेढ़ तोला सोने की मुरकी आरोपी को 1 माह में परिवादी को लौटानी थी, किंतु आरोपी द्वारा उक्त उपहार परिवादी को नहीं लौटाया गया है। आरोपी द्वारा उक्त उपहार बेईमानीपूर्वक दुर्भावनावश हड़प कर लिया गया है जो धारा 406 भा.द.वि. की श्रेणी में आता है। आरोपी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2015 की अवहेलना की है तथा आदेश को भंग किया है। इसलिये आरोपी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध किया है इसलिये आरोपी के विरूद्ध परिवाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः परिवादी का संज्ञान लिया जाकर आरोपी को धारा 406 भा.द.वि. तथा धारा 31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का एवं परिवादी का उपहार का सामान दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

03– परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये,

जिन्हें अभियुक्त ने अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियुक्त का विचारण आरंभ किया गया। मामले में परिवादी साक्ष्य समाप्त होने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया एवं अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया, उसकी लडकी की देखरेख परिवादी द्वारा नहीं की गई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वह परिवादी को अभी भी अपने साथ रखने को तैयार है। अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले में अंतिम तर्क श्रवण किये। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विवेचन कर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 31(1) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का निष्कर्ष अंकित करते हुये उन्हें प्रश्नाधीन निर्णय द्वारा दोषसिद्ध कर इस निर्णय के पैरा–01 अनुसार दंडित किया गया है।

04– अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 विधि व विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर अपीलांट को दण्डित किये जाने में गंभीर त्रुटि की है। अ.सा.1 परिवादी निर्मला ने उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 17.09.2022 से लगभग 14 वर्ष उसकी शादी अभियुक्त/ अपीलार्थी से हिन्दू रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुई होने के कथन किये गये हैं किंतु इतने लंबे अंतराल अर्थात 14 वर्षों तक रेस्पोडेंट अपीलांट के साथ पत्नी रूप में निवास करती रही व बाद में अपीलार्थी द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गई है इस तथ्य को भी विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज कर जो निर्णय पारित कर अपीलार्थी को दण्डित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी/आरोपी ने रेस्पोडेंट/परिवादी को उसके साथ प्रेमपूर्वक रखकर समूचित रूप से भरण पोषण किया गया है व अपीलार्थी ने विवाह के 14 वर्ष पश्चात रेस्पोडेंट को घरेलू हिंसा कारित करने के जो तथ्य रेस्पोडेंट ने प्रतिपादित किये गये हैं उन पर तनिक भी विचार नहीं कर अपीलार्थी को दण्डित किये जाने में विचारण न्यायालय ने गंभीर विधि की भूल की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होकर निरस्ती योग्य है। रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के विरूद्ध असत्य प्रकरण कायम करवाकर असत्य कार्यवाही घरेलू हिंसा कारित किये जाने की विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई इस तथ्य को नहीं समझकर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दण्डित किये जाने में गंभीर भूल की है। रेस्पोडेंट जब उसकी मनमर्जी से अपीलार्थी के घर से गई थी तब संपूर्ण स्त्रीधन उसके साथ लेकर चली गई थी, किंतु रेस्पोडेंट ने स्त्रीधन व सोने चांदी की रकम अपीलार्थी के पास होने के असत्य कथन

किये गय है जिस पर विश्वास कर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दण्डित किये जाने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलार्थी आज भी रेस्पोडेंट को उसके साथ रखकर उसका समुचित रूप से भरण–पोषण करने को तत्पर व तैयार है, किंतु रेस्पोडेंट/परिवादिया जान–बूझकर अपीलार्थी के साथ निवास करना नहीं चाहती है व यह असत्य कार्यवाही विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को परेशान व प्रताडित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है व न्यायालय से असत्य सहायता प्राप्त करना चाहती है इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने नहीं समझकर जो निर्णय दिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होकर निरस्ती योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 635/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 को निरस्त करते हुए दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

05– प्रत्यर्थी/परिवादी ने प्रश्नाधीन निर्णय का समर्थन किया एवं प्रश्नाधीन निर्णय व दण्डाज्ञा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता न होना बताते हुये अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

06– उभयपक्ष के तर्क सुने गये एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

07– अपील के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :–

01– क्या अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 अनुसार आदेशित किये गये 2100/–रूपये मासिक भरण–पोषण राशि को परिवादी निर्मला को अदा करने हेतु दिये गये भरण–पोषण संबंधी संरक्षण आदेश का पालन न करने के संबंध में उस पर लगाया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) का आरोप संदेह से परे प्रमाणित है?

02– क्या प्रश्नाधीन निर्णय एवं दण्डादेश हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?

// सकारण निष्कर्ष //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक– 01 एवं 02

08– उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य का दोहराव रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

09– निर्मला प.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी नानालाल उसका पति है आरोपी से उसकी शादी साक्ष्य दिनांक 17.09.2022 से लगभग 14 साल पूर्व जाट समाज के अनुसार हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद वह आरोपी के घर चली गई। उनका एक पुत्र भी है और पुत्र होने के बाद आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। उसके पुत्र के होने के लगभग दो साल उपरांत उसे एक पुत्री का जन्म हुआ। ससुराल में रहने के दौरान आरोपी उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता था व उसका ईलाज भी नहीं कराता था। आरोपी से परेशान होकर उसने उसके विरूद्ध एक दावा लगाया था जिसमें न्यायालय द्वारा उसे आरोपी से 2,000/–रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण की राशि अदा किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। यह भी आदेश किया गया था कि आरोपी उसकी पुत्री के ईलाज के लिए पृथक से 100/–रूपये महिना देगा और यह भी आदेशित हुआ था कि आरोपी उसे दो तोले की सोने की चेन, एक तोले की सोने की अंगूठी एवं डेढ़ तोले की सोने की मुरकी उसे वापस करेगा। कोर्ट द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि आरोपी उसे उसके साथ रखेगा। आरोपी ने उक्त आदेश का पालन नहीं किया। आदेश होने के एक साल तक आरोपी द्वारा न ही उसे पैसों की अदायगी की गई और न ही उक्त सामान लौटाया और न ही उसे साथ में रखा। उसके द्वारा आरोपी को एक सूचना पत्र भी उसके अभिभाषक के माध्यम से प्रेषित किया गया था जो तामिल नहीं हुआ था और सूचना पत्र वापस लौटकर आ गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रति प्रदर्श पी–1, नोटिस का ड्राफ्ट प्रदर्श पी–2 एवं वापस प्राप्त नोटिस प्रदर्श पी–3 है।

10– उक्त साक्षी का यह भी साक्ष्य है कि न्यायालय से एक साथ पैसा जमा कराए जाने के आदेश के उपरांत भी आरोपी द्वारा कोई राशि उसे अदा नहीं की गई है। अभी भी लगभग तीन साल से आरोपी ने उसे राशि की अदायगी नहीं की है। आरोपी से उसे अभी 1,50,000/–रूपये लेना शेष है। इसलिए उसने आरोपी के विरूद्ध यह दावा पेश किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकारती है कि अपीलार्थी/आरोपी ने उसे अपने साथ रखने के लिये रतलाम से नोटिस भेजा था और उसने उसे अपने साथ रखने के लिये रतलाम न्यायालय में प्रकरण भी लगाया था। साक्षी स्वीकारती है कि आरोपी ने आज दिनांक तक 65,000/–रूपये जमा कर दिये है।

11– परिवादी निर्मला परि.सा.1 द्वारा अपने पक्ष में हुए संरक्षण आदेश के प्रमाणीकरण हेतु न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2015 में दिनांक 01.10.2015 को पारित हुए संरक्षण आदेश की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–1 के रूप में प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि न्यायालय द्वारा उक्त मामले

में अनावेदक क्रमांक 1 अर्थात् इस मामले के अभियुक्त नानालाल के विरूद्ध संरक्षण आदेश, आवेदिका अर्थात् इस मामले की परिवादी निर्मला के पक्ष में पारित किए थे एवं यह आदेशित किया था कि अभियुक्त 2,000/–रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण की राशि के रूप में परिवादी को तथा 100/–रूपये प्रतिमाह की दर से परिवादी व उसके बच्चे के ईलाज खर्च के लिये हर माह की दस तारीख तक अदा करेगा, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करेगा एवं यह भी आदेशित किया गया था कि परिवादी यदि अभियुक्त के साथ निवास करना चाहती है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे साथ में रखने का प्रयास करेगा। हालांकि आदेश की सहायता के पद डी अर्थात अभियुक्त के परिवादी को मायके से मिले उपहार के सामान को उपयोग करने देने संबंधी सहायता का प्रश्न है तो उक्त सहायता को अपीलीय न्यायालय द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 456/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के अनुसार निरस्त किया जाना दर्शित होता है एवं तदोपरांत यह प्रमाणित होता है कि परिवादी के पक्ष में एवं अभियुक्त के विरूद्ध विविध आपराधिक प्रकरण क्रं. 22/15 दिनांक 01.10.2015 को संरक्षण आदेश पारित किया गया था।

12– जहां तक अभियुक्त का परिवादी को अपने साथ रखने का प्रयास करने संबंधी सहायता का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी की स्वीकारोक्ति है कि आरोपी ने उसे अपने साथ रखने के लिये रतलाम से नोटिस भेजा था और इस हेतु रतलाम न्यायालय में प्रकरण भी लगाया था, किंतु परिवादी द्वारा इस दिशा में कोई कृत्य किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी दशा में आदेश दिनांक 01.10.2015 के पद क्रमांक 23 में दी गई सहायता (ई) का कोई उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं होता है अतः प्रकरण में सहायता के शेष पदों अर्थात भरण–पोषण व ईलाज की राशि संबंधी संरक्षण आदेश के उल्लंघन संबंध आक्षेपों की विवेचना की जा रही है। इस संबंध में आदेश दिनांक 01.10.2015 के पालन में दिनांक 09.02.2016 को परिवादी द्वारा वसूली हेतु दिनांक 09.02.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जो एम.जे.सी.आर. क्रमांक 15/2016 पर दर्ज हुआ और उसी दिनांक को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत परिवाद भी प्रस्तुत किया गया।

13– वसूली हेतु प्रस्तुत एमे.जे.सी.आर. क्रमांक 15/2016 में अपीलार्थी/आरोपी प्रथम बार दिनांक 24.05.2016 को अधिवक्ता के माध्यम से और दिनांक 16.06.2016 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। दिनांक 16.06.2016 को अपीलार्थी/आरोपी द्वारा 2,000/–रूपये, दिनांक 13.07.2016 को 1,000/–रूपये, दिनांक 22.08.2016 को 3,000/–रूपये, दिनांक 29.09.2016 को 3,500/–रूपये, दिनांक

25.10.2016 को 5,000/–रूपये, दिनांक 17.11.2016 को 5,000/–रूपये, दिनांक 23.12.2016 को 3,000/–रूपये, दिनांक 07.02.2017 को 4,000/–रूपये, दिनांक 10.03.2017 को 4,000/–रूपये, दिनांक 16.05.2017 को 7,000/–रूपये, दिनांक 28.06.2017 को 3,000/–रूपये, दिनांक 08.11.2017 को 4,500/–रूपये, दिनांक 16.08.2018 को 5,000/–रूपये, दिनांक 12.02.2020 को 4,000/–रूपये, दिनांक 09.08.2022 को 50,000/–रूपये अदा किया जाना दर्शित होता है। निर्णय दिनांक 30.09.2022 से पूर्व अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को नियमित रूप से भरण–पोषण राशि अदा किया जाना दर्शित होता है। इस संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी की अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारोक्ति भी दी है कि आरोपी ने उसकी साक्ष्य दिनांक 17.09.2022 तक लगभग 65,000/–रूपये जमा कर दिये हैं, ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय का अपने निर्णय के पद क्रमांक 12 में दिया गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण होना दर्शित होता है कि बचाव पक्ष ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अभियुक्त द्वारा यदि कोई राशि जमा की गई है तो कब की गई है और क्या वह आदेश दिनांक 10.10.2015 के अनुपालन में अदा की गई है। परंतु प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी/आरोपी द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 अनुसार आदेशित किये गये परिवादी निर्मला को 2100/–रूपये मासिक भरण–पोषण राशि अदायगी संबंधी संरक्षण आदेश का अक्षरशः पालन न कर उक्त संरक्षण आदेश का भंग किया है एवं अपीलार्थी/आरोपी द्वारा अंतरालों में जो भरण पोषण राशि अदा की गई है उसका संज्ञान दण्डादेश के प्रश्न पर विचार करते समय किया जायेगा।

14– प्रकरण में प्रत्यर्थी/परिवादी, अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 अनुसार आदेशित किये गये 2100/–रूपये मासिक भरण–पोषण राशि को परिवादी निर्मला को अदा करने हेतु दिये गये भरण–पोषण संबंधी संरक्षण आदेश का पालन न करने के संबंध में उस पर लगाया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रही है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/आरोपी नानालाल को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार अपीलार्थी/आरोपी नानालाल जाट के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 30.09.2022 में पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

15– जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी नानालाल जाट को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/–रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदण्ड अदायगी व्यतिक्रम में 01 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। परंतु जैसा कि इस निर्णय के पद क्रमांक 13 में विवेचित है। अपीलार्थी/आरोपी द्वारा संरक्षण आदेश का पूर्णतः अपालन किया जाना दर्शित नहीं होता है। मासिक भरण–पोषण राशि अदायगी संबंधी आदेश के पालन में कभी–कभार कुछ माह का विलंब हो जाना कतई अस्वभाविक नहीं है। विशेषकर तब जबकि उक्त आदेश का लम्बे समय तक नियमित रूप से पालन किया जाना हो। भरण–पोषण राशि वसूली हेतु प्रस्तुत एम.जे.सी.आर. क्रमांक 15/2016 के अवलोकन से आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.09.2022 के पश्चात भी अपीलार्थी/आरोपी द्वारा दिनांक 24.11.2022 को 5,000/–रूपये, दिनांक 22.02.2023 को 5,500/–रूपये, दिनांक 18.04.2023 को 5,000/–रूपये, दिनांक 06.07.2023 को 6,000/–रूपये, दिनांक 08.08.2023 को 2,000/–रूपये, दिनांक 05.10.2023 को 5,000/–रूपये, दिनांक 28.11.2023 को 4,000/–रूपये, दिनांक 10.01.2024 को 5000/–रूपये, दिनांक 12.04.2024 को 4,000/–रूपये, दिनांक 25.06.2024 को 4,000/–रूपये, दिनांक 09.08.2024 को 4,000/–रूपये एवं आज दिनांक 10.09.2025 को 50,000/–रूपये प्रत्यर्थी/परिवादी को अदा किया जाना दर्शित होता है। दण्डादेश किस प्रकार का होना चाहिए इस संबंध में न्यायदृष्टांत State of M.P. v Munna chowbey (2005) 2 SCC 710 में यह निर्धारित किया गया है कि :–

The criminal law adheres in general to the principle of proportionality in prescribing according to the culpability of each kind of criminal conduct. It ordinarily allows some significant discretion to the judge in arriving at a sentence in each case. Presumably to permit sentences that reflect more subtle considerations of culpability that are raised by the special facts of each case. Proportion between crime and punishment is a goal respected in principle, and is spite of errant notions, it remains a strong influence in the determination of sentences.

16– प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपीलार्थी/आरोपी का आचरण देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया 01 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश, जो कि इस अपराध के लिये सर्वाधिक दण्डादेश है, अयुक्तियुक्त होकर अत्यधिक कठोर होना दर्शित होता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी/आरोपी नानालाल की ओर से

प्रस्तुत अपील दण्डादेश के प्रश्न पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और चूंकि अपीलार्थी/आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 30.08.2025 से अभिरक्षा में होकर सजा भुगत रहा है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश के स्थान पर अपीलार्थी/आरोपी नानालाल जाट को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) के अपराध की दोषसिद्धि में इस प्रकरण में भुगती हुई सजा अर्थात दिनांक 30.08.2025 से दिनांक 10.09.2025 तक के कारावास एवं 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर अपीलार्थी/आरोपी को 01 माह का सश्रम कारावास पृथक् से भुगताया जाये। इस संबंध में सुपर सेशन वारंट निर्मित किया जाये तथा उक्त वारंट इस टीप सहित उपजेल खाचरौद भेजा जाये कि यदि अपीलार्थी/आरोपी नानालाल जाट की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाये।

17– अपीलार्थी/आरोपी को निर्णय की निःशुल्क प्रति तत्काल प्रदान की जाये।

18– निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी उज्जैन की ओर अपर लोक अभियोजक के माध्यम् से भेजी जावे एवं निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(नीरज शर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
खाचरोद, जिला उज्जैन म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही/–
(नीरज शर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
खाचरोद, जिला उज्जैन म.प्र.

NEERAJ SHARMA

Digitally signed by NEERAJ SHARMA
Date: 2025.09.10 17:19:45 +0530